

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

शुद्धि पत्र

पत्रांक :— 06 / अ०प्र०—०१—०२ / २०२०

। ११८

पटना, दिनांक २७.५.२०२०

विभागीय अधिसूचना संख्या —९५ सहपठित ज्ञापांक 103 दिनांक 13.04.2020 पर अंकित मो० जीमल अबुल हसन के स्थान पर मो० जमील अबुल हसन पढ़ा जाय।

शेष तथ्य यथावत रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

✓ ११८/११
११८/११ (विनय कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक—६ / अ०प्र०—१—०२ / २०२०

। ११८

पटना, दिनांक— २७.५.२०२०

प्रतिलिपि:— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

✓ ११८/११
११८/११ सरकार के सचिव

ज्ञापांक—६ / अ०प्र०—१—०२ / २०२०

। ११८

पटना, दिनांक— २७.५.२०२०

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना / प्रभारी पदाधिकारी (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

✓ ११८/११
११८/११ सरकार के सचिव

ज्ञापांक—६ / अ०प्र०—१—०२ / २०२०

। ११८

पटना, दिनांक— २७.५.२०२०

प्रतिलिपि:— संबंधित कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

✓ ११८/११
११८/११ सरकार के सचिव

११८/११

प्रतिलिपि:-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/वित्त विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/पंचायती राज विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/उप विकास आयुक्त/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/प्रशास्त्रा पदाधिकारी-2 एवं 3 ग्रामीण

कार्य विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1. इस अधिसूचना के निर्गत होने के साथ ही उपर्युक्त पदस्थापन स्थान के संबंध में पूर्व में निर्गत अन्य अधिसूचना/कार्यालय आदेश/निदेश विलोपित समझे जायेंगे।
2. (क) यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित हो तो सीधे सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को संबोधित कर शुद्धिपत्र निर्गत करने का अनुरोध किया जाए।

(ख) संबंधित सहायक अभियंता अपने नव पदस्थापित स्थान पर अविलम्ब योगदान देकर प्रभार ग्रहण करेंगे।

(ग) नव पदस्थापित स्थान पर प्रभार मिलने में अगर कोई कठिनाई हो तो विभागीय सचिव से सीधे सम्पर्क स्थापित कर वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराया जाय।

(घ) स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की कोताही या विलम्ब अनुशासनहीनता मानी जायेगी।

(ङ.) इस अधिसूचना के सभी पृष्ठ सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित है।

सरकार के सचिव